संoसंo—17 / एफ 1—30 / 2020

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

रेणु कुमारी,

विशेष कार्य पदाधिकारी।

सेवा में,

निदेशक,

राज कॉलेज ऑफ फार्मेसी,

पत्राचार का पता—ग्राम—ओदार, भभुआ, जिला—कैमूर, पिन कोड—821108

पटना, दिनांक :— / /2024

विषय :—राज कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ओदार, भभुआ, जिला—कैमूर को बी० फार्म पाठ्यक्रम संचालन हेतु मान्यता / अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में निदेशक, राज कॉलेज ऑफ फार्मेसी के पत्रांक—RCP/79 दिनांक—03.01.2022 द्वारा अभ्यावेदन समर्पित कर उक्त विषयांकित संस्थान में बी० फार्म पाठ्यक्रम के 100 सीटों पर पाठ्यक्रम संचालन हेतु मान्यता / अनापत्ति प्रमाण—पत्र प्रदान करने का अनुरोध किया गया था।

इस परिप्रेक्ष्य में संस्थान के स्थल निरीक्षण हेतु विभागीय आदेश सं0—632(17) दिनांक—21.06.2023 द्वारा त्रिसदस्यीय जाँच समिति का गठन किया गया था।

जाँच समिति के प्रतिवेदन के आधार पर बिहार चिकित्सा शिक्षा संस्था (विनियमन और नियंत्रण) (संशोधन) विधेयक, 1993 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा निहित प्रावधानों के अधीन राज कॉलेज ऑफ फार्मेसी, ओदार, भभुआ, जिला—कैमूर को फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इंडिया (PCI) के विनियमों / मानकों / प्रावधानों के शर्त्ताधीन सत्र—2023—2024 से बी० फार्म पाठ्यक्रम के 100 सीटों पर पाठ्यक्रम शुरू करने हेतु मान्यता / अनापत्ति प्रमाण पत्र (No Objection Certificate) प्रदान किया जाता है।

विश्वासभाजन

ह०/—

(रेणु कुमारी)

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक :—17 / एफ1—30 / 2020 — 62(17)   पटना, दिनांक :— 12/01/2024

प्रतिलिपिः— निदेशक, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली—110070 / निबंधक—सह—सचिव, फार्मेसी कॉउन्सिल ऑफ इंडिया, NBCC Centre 3rd Floor, Plot NO.2, Community Centre Maa Anandamai Marg, Okhla Phase-1, Landmark- (Near Hotel Crowne Plaza) New Delhi-110020 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— परीक्षा नियंत्रक, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना / सभी प्राचार्य, राजकीय फार्मेसी संस्थान / महाविद्यालय, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— रजिस्ट्रार, आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना / बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— माननीय उप मुख्य (स्वास्थ्य) मंत्री के आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव / सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव / प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा—01, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

विशेष कार्य पदाधिकारी